रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 26 जून, 1974
आषाढ़ 5, 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1856/17-वि-1—83-73

लखनऊ, 26 जून, 1974

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 24 जून, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1974)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 में— उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1960 की धारा 11 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के प्रारम्भिक पैरा में, शब्द "नियत रीति से" निकाल दिये जायें;

(ख) उपधारा (1) में, खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(2) उत्तर प्रदेश स्टेट बार काउन्सिल के नाम निवेशित दो सुन्नी एडवोकेट जिनका निर्वाचन हाई कोर्ट बार एसोसियेशन, इलाहाबाद तथा अवध बार एसोसियेशन, लखनऊ के सुन्नी सदस्य करेंगे ;";

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(2) उपधारा (1) के अधीन निर्वाचन तथा आमेलन ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति से किये जायेंगे जैसा कि राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, तथा किसी ऐसे निर्वाचन अथवा आमेलन से सम्बन्धित कोई प्रश्न अथवा विवाद राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।"

धारा 12 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 12 में—

(क) उपधारा (1) के प्रारम्भिक पैरा में शब्द "नियत रीति से" निकाल दिये जायँ;

(ख) उपधारा (1) में, खण्ड (5) में, शब्द "उपर्युक्त दस सदस्यों" के स्थान पर शब्द "पूर्ववर्ती खण्डों में अभिदिष्ट सदस्यों" रख दिये जायँ;

(ग) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(2) उपधारा (1) के अधीन निर्वाचन तथा आमेलन ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति से किये जायेंगे जैसा कि राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, तथा किसी ऐसे निर्वाचन अथवा आमेलन से सम्बन्धित कोई प्रश्न अथवा विवाद राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।"

धारा 13 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द तथा अंक "खण्ड (1) से (3)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "खण्ड (3)" रख दिया जाय, और शब्द "ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय" के स्थान पर शब्द "ऐसे समय के भीतर जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किया जाय" रख दिये जायँ।

धारा 15 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) में शब्द "सदस्यों की एक बैठक" के स्थान पर शब्द "ऐसे सदस्यों की एक बैठक" रख दिये जायँ।

नई धारा 22-क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 22 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

सदस्यता की समाप्ति "22-क—कोई व्यक्ति, जो राज्य विधान मण्डल का सदस्य होने अथवा एडवोकेट या मुतवल्ली या किसी अन्य निकाय का प्रतिनिधि होने की हैसियत से बोर्ड का सदस्य है, उस हैसियत पर न रहने पर बोर्ड का सदस्य न रह जायेगा।"

धारा 79 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 79 में, उपधारा (2) में खण्ड (क) निकाल दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1970 की धारा 7 तथा 8 का निकाला जाना

8—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 तथा 8 निकाल दी जायँ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

9—मूल अधिनियम में अथवा किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी—

(1) राज्य सरकार के शासनादेश संख्या 40(70)/68, दिनांक 12 अगस्त, 1969, तथा दोनों शासनादेश संख्या 40(11)/69, दिनांक 13 जनवरी, 1970 द्वारा वक्फों के सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड तथा शिया सेन्ट्रल बोर्ड के लिये सदस्यों के नाम-निर्देशन विखंडित हो जायेंगे;

(2) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (1) अथवा खण्ड (3) या धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (3) के अधीन किया गया अथवा किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई भी निर्वाचन निरस्त हो जायगा।

(3) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1974 प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (5) अथवा धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (4) के अधीन किया गया अथवा किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई भी आमेलन निरस्त हो जायगा।

(4) राज्य सरकार मूल अधिनियम की धारा 14 के अधीन अधिसूचना द्वारा प्रत्येक बोर्ड का पुनस्संगठन बोर्ड के सदस्यों तथा अध्यक्ष का यथास्थिति, निर्वाचन, नाम-निर्देशन अथवा आमेलन हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र करेगी।

कठिनाई दूर करने की शक्ति

10—यदि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार वक्फों के सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड अथवा शिया सेन्ट्रल बोर्ड के पुनस्संगठन के सम्बन्ध में कोई कठिनाई उठती है तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है अथवा ऐसे निदेश दे सकती है जो कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक अथवा इष्टकर प्रतीत हों:

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

निरसन तथा अपवाद

11—(1) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। (उ० प्र० अध्यादेश ..., 1974)

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गयी बात अथवा किया गया कार्य समझा जायेगा, मानों यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था।

No. 1856 (2) /XVII-V-1-83-73

Dated Lucknow, June 26, 1974

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Muslim Waqf (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislatre and assented to by the Governor on June 24, 1974 :

UTTAR PRADESH MUSLIM WAQFS (AMENDMENT) ACT, 1974 (U. P. Act No. 11 of 1974)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960

It is hereby enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1974.

Amendment of section 11 of U. P. Act no. XVI of 1960.

2. In section 11 of the Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960, hereinafter referred to as the principal Act—

(*a*) in sub-section (1), in the opening paragraph, the words "in the manner prescribed" shall be *omitted;*

(*b*) in sub-section (1), *for* clause (ii), the following clause shall be *substituted,* namely :—

" (ii) two Sunni Advocates enrolled with the Uttar Pradesh State Bar Council, to be elected by Sunni members of the High Court Bar Association, Allahabad and Avadh Bar Association, Lucknow;";

(*c*) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted,* namely :—

"(2) The election and co-option under sub-section (1) shall be held and made within such time and in such manner as the State Government may by general or special order direct, and any question or dispute relating to any such election or co-option, shall be referred to the State Government whose decision shall be final."

Amendment of section 12.

3. In section 12 of the principal Act—

(*a*) in sub-section (1), in the opening paragraph, the words "in the manner prescribed" shall be *omitted;*

(*b*) in sub-section (1), in clause (*v*), *for* the words "the above ten member", the words "the members referred to in the foregoing clauses" shall be *substituted;*

(*c*) *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted,* namely :—

"(2) The election and co-option under sub-section (1) shall be held and made within such time and in such manner as the State Government may, by general or special order direct, and any question or dispute relating to any such election or co-option shall be referred to the State Government whose decision shall be final."

Amendment of section 13.

4. In section 13 of the principal Act, *for* the words and figures "clauses [illegible]o (iii)", the word and figure "clause (iii)" shall be *substituted,* and *for* [illegible]ords "within such time as may be prescribed", the words "within such time [illegible]y be specified by the State Government in that behalf" shall be *substituted.*

Amendment of section 15.

5. In section 15 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "a meeting of the members", the words "a meeting of such members" shall be *substituted.*

Insertion of new section 22-A.

6. *After* section 22 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"22-A. A person who is a member of the Board in his capacity as a member of the State Legislature or as an Advocate or as a *Mutwalli* or as a representative of any other body shall cease to be member of the Board on his ceasing to hold that capacity."

Cessation of Membership.

Amendment of section 79.

7. In section 79 of the principal Act, in sub-setcion (2), clause (*a*) shall be *omitted.*

Omission of sections 7 and 8 of U. P. Act no. III of 1970.

8. Sections 7 and 8 of the Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1970 shall be *omitted.*

Transitory provisions.

9. Notwithstanding anything contained in the principal Act, or in any judgment, decree or order of any court—

(i) the nominations of members for the Sunni Central Board of Waqfs and the Shia Central Board of Waqfs made by the State Government by G. O. no. 40 (70)-68, dated August 12, 1969 and both G. Os. bearing no. 40 (11)-69, dated January 13, 1970 shall stand rescinded ;

(ii) any election made or purporting to have been made under clause (i) or clause (iii) of sub-section (i) of section 11 or under clause (iii) of sub-section (1) of section 12 of the principal Act before the commencement of the Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Ordinance, 1974 shall stand cancelled ;

(iii) any co-options made or purporting to have been made under clause (v) of sub-section (i) of section 11 or under clause (iv) of sub-section (1) of section 12 of the principal Act before the commencement of the Uttar Pradesh Muslims Waqfs (Amendment) Ordinance, 1974, shall stand cancelled ;

(iv) the State Government shall reconstitute each Board by notification under section 14 of the principal Act as soon as may be after its members and the President are elected, nominated or co-opted, as the case may be.

Power to remove difficulty.

10. If any difficulty arises in regard to the reconstitution of the Sunni Central Board of Waqfs or the Shia Central Board of Waqfs in accordance with the principal Act as amended by this Act, the State Government may by order make such provision or give such direction as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no order shall be made under this section after the expiration of one year from the commencement of this Act.

Repeal and saving

11. (1) The Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Ordinance, 1974 is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 17 of 1974.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

पू० पी०—ए० ऑ०—137 राजपत्र—(हि०)—789—1974—2095+175 (मै०)।